बिहार सरकार
कृषि विभाग

अधिसूचना

संख्या : 1/ए०जी०–21/2010 387 दिनांक : 22-01-2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।– (1) यह नियमावली 'बिहार कृषि सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. परिभाषा ।– इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य,

(ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,

(iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग,

(v) 'कृषि सेवा अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 (बिहार अधिनियम संख्या–44, 1982),

(vi) कोटि–8 (माप एवं तौल) से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा अधिनियम–1982 की धारा–2 के अंतर्गत अनुसूची–1 में उद्धृत कोटि–8 (माप एवं तौल)

(vii) 'बिहार कृषि सेवा (कोटि–8)' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की कृषि सेवा, कोटि–8 (माप एवं तौल)

(viii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) का संवर्ग,

(ix) 'आयोग' से अभिप्रेत है ''बिहार लोक सेवा आयोग'',

(x) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) में नियुक्त व्यक्ति,

(xi) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेरित है, बिहार राज्य सरकार,

3. संवर्ग नियंत्रण ।– यह सेवा एक राज्य सेवा होगी तथा कृषि विभाग इस सेवा का नियंत्री एवं प्रशासी विभाग होगा।

4. पदसोपान ।– (1) (क) मूल कोटि का पद– सहायक नियंत्रक (माप एवं तौल), एवं समकक्ष

(ख) प्रथम प्रोन्नति का पद – उप नियंत्रक (माप एवं तौल), एवं समकक्ष

(ग) द्वितीय प्रोन्नति का पद – संयुक्त नियंत्रक (माप एवं तौल), एवं समकक्ष

(घ) तृतीय प्रोन्नति का पद – नियंत्रक (माप एवं तौल),

(2) संवर्ग की सभी कोटियों में पदो की संख्या उतनी ही होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय तथा उनका वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

5. <u>मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्रोन्नति ।–</u> (1)सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। मूल कोटि के 67 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से तथा 33 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

(2) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को मूल कोटि में स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग–अलग की जायेगी। यह गणना पदों के आधार पर की जायेगी अर्थात सीधी नियुक्ति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा तथा प्रोन्नति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। 30 अप्रैल को रिक्तियों के संबंध में विभाग द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।

(3) शैक्षणिक योग्यता ।– संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्राद्यौगिकी में स्नातक की डिग्री होगी।

(4) <u>सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति</u> ।– (क) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जायेगी।

(ख) <u>उम्र सीमा</u> ।– आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को, न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय–समय पर, विनिश्चित की जाय किन्तु विशेष परिस्थिति में इसे राज्य सरकार के आदेश से बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) <u>आरक्षण</u> ।– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए, समय–समय पर, किए गए आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(घ) सीधी नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा सामान्य एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ अधियाचना प्रत्येक वर्ष आयोग को भेजी जायेगी।

(ड़) <u>प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम</u> ।– ऊपर नियम 5 (iv) (क) में उल्लेखित प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के हिन्दी विषय में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। परन्तु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने में नहीं की जायेगी। मेधा सूची विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी में 200–200 अंकों के दो

प्रश्न पत्रों, सामान्य ज्ञान के 100 अंकों के एक प्रश्न पत्र तथा मौखिक परीक्षा के 50 अंकों के विरूद्ध कुल प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित किया जाय। विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार किया जाएगा। विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी तथा सामान्य ज्ञान के उपरोक्त तीन पत्रों के प्राप्तांक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को समुचित संख्या में मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मौखिक परीक्षा 50 अंकों की होगी।

(च) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा ।**– आयोग लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अलग–अलग मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गयी सूचियों में से आयोग प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुसार अनुशंसा विभाग को करेगा।

(5) **प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ।**– बिहार कृषि सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) के 33% पदों पर कृषि अधीनस्थ सेवा (निरीक्षक, माप–तौल), कोटि–8 (माप एवं तौल) से विज्ञान (भौतिकी के साथ)/अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी स्नातक योग्ताधारी को ही प्रोन्नति दी जायेगी। कृषि अधीनस्थ सेवा (निरीक्षक, माप–तौल), कोटि–8 (माप एवं तौल) में कार्यरत पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर विनिश्चित कालावधि, आरक्षण रोस्टर एवं निर्गत नीति निर्धारक परिपत्रों के आलोक में वरीयता के आधार पर, सक्षम प्राधिकार द्वारा, प्रोन्नति दी जायेगी।

6. **परिवीक्षा ।**– (1) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह अवधि विभाग के द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। यदि बढ़ाई गयी अवधि में भी कार्य संतोषप्रद नहीं होगा, तो ऐसे सदस्यों की सेवा सरकार द्वारा बिना कारण पृच्छा के समाप्त की जा सकेगी, परन्तु इसकी लिखित सूचना कारण सहित दी जाएगी।

(2) परिवीक्षाधीन अवधि की गणना नियमित सेवा में की जायेगी।

7. **प्रशिक्षण ।**– बिहार कृषि सेवा में नियुक्त सदस्यों के लिए प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु अवधारित प्रोन्नति के पूर्व यदि प्रशिक्षण आयोजित नही हुआ हो, तो प्रोन्नति बाधित नहीं होगी। प्रशिक्षण संस्थानों का चयन समय–समय पर विभाग द्वारा किया जायेगा।

8. **विभागीय परीक्षा ।**– (1) सदस्यों को केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद्), बिहार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(2) मूल कोटि के वेतनमान में प्रथम वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता के उपरान्त ही देय होगी।

9. **सम्पुष्टि ।**– (1)परिवीक्षा की समाप्ति, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता तथा विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी नियुक्ति के सदस्यों की सेवा स्थायी संवर्गीय पदों के विरूद्ध मूल कोटि में संपुष्ट की जाएगी।

(2) प्रोन्नति से मूल कोटि में नियुक्त सदस्यों की उप नियम (1) के अधीन वर्णित शर्त्तों (परिवीक्षा को छोड़कर) पर सेवा संपुष्ट की जा सकेगी।

10. **वरीयता का अवधारण ।**– सीधी भर्त्ती से नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता आयोग द्वारा अवधारित मेधा क्रम के अनुसार होगी तथा किसी एक ही वर्ष में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारी उसी वर्ष प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी से कनीय होगे। अन्य कोटियों में वरीयता का अवधारण, समय–समय पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित नीति के आलोक में, किया जाएगा।

11. **मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति ।**– (1) सेवा संवर्ग के पदसोपान में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति ठीक नीचे की पंक्ति में कार्यरत पदाधिकारियों से वरीयता सह मेधा के आधार पर तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में दी जाएगी। लेकिन सदस्यों को नियम–7 में यथा प्रावधानित प्रशिक्षण में भाग लेने पर ही प्रोन्नति देय होगी।

(2) विभाग/संस्थान द्वारा ससमय प्रशिक्षण आयोजित नही किये जाने के फलस्वरूप प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

(3) कार्यरत पदाधिकारियों की मूल कोटि में संपुष्टि, गोपनीय अभ्युक्ति, आंतरिक स्वच्छता, निगरानी स्वच्छता एवं लोकायुक्त का प्रतिवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित कालावधि, आरक्षण, पदों की उपलब्धता आदि पर विचार करते हुए वरीयता के आधार पर, सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी।

(4) **विभागीय प्रोन्नति समिति ।**– विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति अलग से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में विभाग द्वारा गठित की जायेगी।

12. **प्रकीर्ण ।– कठिनाई का निराकरण ।**–(1) इस नियमावली के नियमों का विवेचन करने के लिए विभाग, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात, सक्षम होगा।

(2) विभाग, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात, इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण, राजपत्र में समुचित आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, कर सकेगा।

(3) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में उनके संबंध में लागू होंगे।

13. निरसन एवं व्यावृति ।– (1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प निरसित समझे जायेंगे।

(2) उक्त निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अन्तर्गत की गयी कोई कार्रवाई या पूर्व में निर्गत कोई आदेश प्रभावित या अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/01/2015

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–1/ए0जी0–21/2010 387 /कृ०, पटना, दिनांक 22-01-2015

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 1/ए0जी0–21/2010 387 /कृ०, पटना, दिनांक 22-01-2015

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 1/ए0जी0–21/2010 387 /कृ०, पटना, दिनांक 22-01-2015

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/अपर कृषि निदेशक (प्रसार)/निदेशक, उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/संयुक्त कृषि निदेशक–सह– नियंत्रक माप एवं तौल, बिहार/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/2015

सरकार के प्रधान सचिव।